न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 33/2023

उनवान

1. गमीरा पुत्र स्व. कचरा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
2. रमेश पुत्र स्व. कचरा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री ग्राम पंचायत मार्फत सरपंच, ग्राम पंचायत भगोरा, पंचायत समिति. गढ़ी, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
2. श्रीमती कोदरी पत्नी स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
3. गटु पुत्र स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
4. दिलीप पुत्र स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
5. पवन पुत्र स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयरक, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
6. मणिलाल पुत्र स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
7. हरिश पुत्र स्वं. शंकर, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
8. भीखा पुत्र स्वं. कचरा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
9. हिरा पुत्र स्वं. कचरा, जाति भील, आयु वयरक, निवासी भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
10. तहसीलदार गढ़ी, तहसील गढ़ी जिला बाँसवाड़ा।

—: रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 12.9.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाट्स के पिता स्व. कचरा पुत्र गौतम, गोकुल पुत्र वालजी, सवा पिता नाथिया, जाति भीलान, निवासीयान भगोरा के नाम निम्नलिखित पुराने सर्वे नम्बर 4062 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4061 रकवा 6 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4056 रकवा 14 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4057 रकवा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4060 रकबा 15 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4054 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा, कुल खेत 6 [illegible] 13 बिस्वा, वाके गांव भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बाँस[illegible]थत है। उक्त भूमि में अपीलांट्स के पिता व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगा[illegible] व रेस्पोडेंट्स संख्या 8 व 9 के पिता स्व. कचरा का 1/2 भाग था एवं [illegible]र गौतम पिता वा[illegible] सवा पिता नाथिया का 1/4 भाग था एवं स्व. कचरा की मृत्यु [illegible] पर उसके 3 बडे पु[illegible]र, भीखा व हिरा के नाम ग्राम पंचायत भगोरा द्वारा जरिये मुटेशन संख्या 405 दिनांक 24.11.1989 को खोला गया है, जो कि विधि विरुद्ध है, क्योंकि कचरा की उक्त बताई 3 संतानों के अलावा 2 ओर थी जो कि अपीलांट् सं. 1 गमीरा व अपीलांट् सं. 2 रमेश थे, उनका नाम मुटेशन में नही खोला गया है, इसलिये उक्त मुटेशन के विरुद्ध यह अपील आप न्यायालय में पेश की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:35:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट्स की ओर से अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह अपील पेशकर सादर निवेदन किया :–

(1) यह कि, पुराने सर्वे नम्बर 4062 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4061 रकबा 6 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4056 रकबा 14 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4057 रकबा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4060 रकबा 15 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4054 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, कुल खेत 6, कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, वाके गांव भगोरा, पटवार हल्का भगोरा, तहसील गढ़ी, जिला बॉसवाड़ा में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलांट्स के पिता व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 के पिता व पति स्वं. शंकर व रेस्पोडेंट्स संख्या 8 व 9 के पिता स्व. कचरा का 1/2 भाग था एवं शेष खातेदार गौतम पिता वालजी व सवा पिता नाथिया का 1/4 भाग था एवं कालान्तर में स्व. कचरा व शेष खातेदार स्व. गौतम पिता वालजी व सवा पिता नाथिया के मध्य उक्त खाते की भूमि का वंटवारा हो गया जिसमें उक्त खाते में पुराना सर्वे नम्बर 4054 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का खेत स्व. कचरा के हिस्से में आया एवं कचरा की मृत्यु के बाद उक्त बताये कचरा के वारिसान 3 पुत्र शंकर, भीखा, हिरा के नाम खाता दर्ज रेकॉर्ड हुआ।

उक्त पुराने सभी सर्वे नम्बरान के निम्नलिखित सर्वे नम्बरं बने है :–

सर्वे नम्बर पुराना	रकबा	हाल सर्वे नं.	रकबा
4062	1 बीघा 8 बिस्वा	5345	0.16 हे0
4061	1 बीघा 1 बिस्वा	5346मी.	0.06 हे0
4061		5347मी.	0.06 हे0
4056मी	14 बिस्वा	5348	0.05 हे0
4057मी		5349	0.06 हे0
4060	15 बिस्वा	5350	0.13 हे0
4057मी		5052	0.05 हे0
4056मी		5353	0.06 हे0
4054मी	4 बीघा 4 बिस्वा	5354	0.75 हे0
		5355	0.09 हे0

कुल पुराने खेत 6,
कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा

कुल नये खेत 10
कुल रकबा 1.47 हे0

(2)यह कि, उक्त कचरा के हिस्से में आया सर्वे नं. 4054 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का सेटलमेंट के दौरान 2 नये सर्वे नम्बर बने है, इसका वर्तमान सर्वे नम्बर 5354 रकबा 0.75 हैक्टेयर व सर्वे नम्बर 5355 रकबा 0.09 हैक्टेयर बने है।

(3) यह कि, कचरा की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मुटेशन जो खोला गया है, उसमें कचरा के कुल 5 पुत्र थे, जिसकी वंशावली निम्नानुसार है :–

कचरा पुत्र गौतम

शंकर (मृत्यु) | हिरा | भीखा | गमीरा | रमेश

शंकर (मृत्यु) के: कोदरी(पत्नी) | गट्टु | दिलीप | [illegible] | हरिश (पुत्रगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:35:07 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार खातेदार स्व. कचरा की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट् सं. 1 ग्राम पंचायत ने जरिये मुटेशन संख्या 405 दिनांक 24.11.1989 खोला गया है, उसमें कचरा के 3 पुत्र शंकर, हिरा, भीखा के नाम ही मुटेशन खोला गया है और कचरा के 2 शेष पुत्र गमीरा व रमेश के नाम मुटेशन नही खोला है, इस कारण ग्राम पचायत भगोरा के द्वारा खोला गया मुटेशन विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्ती है एवं वर्तमान में कचरा के पुत्र शंकर की मृत्यु हो चुकी है एवं शंकर के स्थान पर उसके उक्त बताये वारिसान रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 शंकर के वारिसान के नाम

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बॉसवाड़ा

ग्राम पंचायत द्वारा नया मुटेशन खोला गया है वह भी विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्ती है, क्योंकि पंचायत द्वारा पूर्व में खोले गये मुटेशन संख्या 405 में मृतक खातेदार कचरा के 2 पुत्र जो अपीलांट्स है, उनका नाम मुटेशन नही खुलने से वर्तमान खाते में भी उनके नाम मुटेशन नही खुला है, इस कारण वर्तमान में मृतक कचरा के वारिसान अपीलांट्स का नाम खाते में दर्ज रेकॉर्ड नही हुआ है, इस कारण उक्त बताये दोनों मुटेशन काबिल निरस्ती है एवं नये सिरे से मुटेशन खोलने हेतु तहसीलदार गढ़ी के नाम आदेश किये जाने हेतु यह अपील आप न्यायालय में पेश है। मौके पर अभी भी अपीलांट्स का रेस्पोडेंट्स के साथ उक्त खाते की भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

अपीलांट्स को उक्त तथ्य की जानकारी आज से करीब 15 दिन पूर्व अपने उक्त खाते की नकल मांगने पर हल्का पटवारी ने बताया कि, कचरा की मृत्यु के बाद तुम्हारे 3 भाई शंकर, भीखा, हिरा के नाम से ही मुटेशन खोला था, इसलिये तुम्हारे नाम से मुटेशन नही खुलने से. खाते में तुम्हारा नाम नही है एवं शंकर की मृत्यु के बाद उसके बच्चों व पत्नी के नाम पंचायत ने मुटेशन खोला है, इसलिये वर्तमान खाते में भी तुम्हारा नाम दर्ज नही है एवं इसकी शिकायत तहसीलदार साहब को की तो उन्होनें कहां कि, तुम्हे मुटेशन निरस्त करने के लिये एस.डी.ओ. कोर्ट में अपील करनी पडेगी। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त मुटेशन संख्या 405 दिनांक 24.11. 1989 की नकल प्राप्त करने के लिये बांसवाड़ा राजस्व रेकॉर्ड में नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अपीलांट्स को दिनांक 29.03.2023 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को उक्त तथ्य की जानकारी नही होने से अपील पेश नही कर सके एवं जानकारी से नकल के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 29.03. 2023 को उक्त मुटेशन की नकल प्राप्त हुई है एव नकल प्राप्ति दिनांक से यह अपील 30 दिन के अन्दर मियाद आप न्यायालय में पेश है एवं शंकर की मृत्यु के बाद उसके बच्चों के नाम जो मुटेशन ऑन–लाईन बताया है, उसकी नकल हल्का पटवारी द्वारा आज तक नही दी है, इसलिये ऑन–लाईन नकल पेश है एवं अपीलांट्स गरीब अनपढ आदिवासी है एवं उनका अपील देरी से पेश करने का कारण वास्तविक व सद्भावी है।

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पेडेण्ट् के नाम सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2, 3, 8 व 9 की तरफ से श्री जगदीश चारण, अभिभाषक का वकालतनामा के साथ जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्ट्स की अपील को स्वीकार किया। तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 01.8.2023 को रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्ट्स की अपील को स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01, 02, 03, 08 व 09 की ओर से प्रस्तुत जवाब की नकल अपीलान्ट्स अभिभाषक को दिलाई जाकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04 से 07 की तीन–चार बार आवाज लगाई जाने के उपरान्त भी किसी के उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 04 से 07 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गयी। बकुलाय की बहस पर मनन् करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड कर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भगोरा द्वारा निर्णित उक्त नामान्तरकरण कमांक 405 दिनांक 24.01.1989 का निर्णय खारिज किया जाता है एंव तहसीलदार गढ़ी को मूल ही प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि पुनः नयें सीरे से विधिवत् सुनवाई कर उक्त नामान्तरकरण में नवीन निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2023 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:35:07 IST
Reason: SelfAttested